राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर

अपील संख्या :– 55/2024

श्री भूपेन्द्र चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त बाडमेर।
2. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बालोतरा।
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिवाना, बाडमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : **12**.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री के. आर. वागेला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री य" ावंत मेहता, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन पम्प चालक–द्वितीय के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 30.04.2015 को सेवा निवृत्त हुआ है। अपीलार्थी सबसे पहले पम्प चालक–तृतीय के पद पर नियुक्त हुआ था। उसके प" चात् उसकी पदोन्नति पम्प चालक–द्वितीय के पद पर हुई। अपीलार्थी उपखण्ड सिवाना के अधीन कार्यरत था। उक्त उपखण्ड के अधीन कई जल योजनाऐं चल रही थीं। अपीलार्थी उच्च अधिकारियों के निर्दे" ाों की अनुपालना में इन जल योजनाओं के पम्पों का रख–रखाव खराब होने पर लोरिंग–अनलोरिंग का कार्य करने हेतु समय–समय पर अपीलार्थी को भेजा जाता था। यह कार्य अपीलार्थी के मुख्यालय के अलावा उक्त विभिन्न योजनाओं पर होता था जिसके लिये अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाता था। अपीलार्थी समय–समय पर अपने यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करता था एवं विभाग द्वारा उन्हें स्वीकृत करने के प" चात् अपीलार्थी को भुगतान कर दिया जाता था। यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान हेतु बजट की मांग मुख्य अभियन्ता से की जाती है एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट का आवंटन किया जाता है। बजट कम स्वीकृत होने की स्थिति में विभाग कर्मचारियों को क्रमवार बिलों का भुगतान वरिश्ठता के अनुसार करता है। अपीलार्थी को भी उसके द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान आवंटित बजट अनुसार वरिश्ठता को ध्यान में रख कर किया जा था और अधिकां" ा समय

यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान बकाया रहता था। अपीलार्थी को अपने सेवाकाल में राजकीय कार्य हेतु की गई यात्राओं के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने इस हेतु अपने सेवाकाल के दौरान विभाग को प्रतिवेदन दिये और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी निवेदन किया तो उसे यह आ'' वासन दिया गया कि बजट उपलब्ध होने पर भुगतान कर दिया जायेगा किन्तु आज दिनांक तक यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि अपीलार्थी नियमित रूप से विभाग से पत्राचार कर रहा है और स्वयं भी विभागीय अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा माह जनवरी, 2010 से माह अप्रेल, 2015 तक की गई यात्राओं के लिए कुल रा'' ा 3,00,000/– रूपये के अतिरिक्त बजट आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के निरन्तर सम्पर्क व प्रयास के बावजूद यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान लम्बित है। अपीलार्थी द्वारा विभाग से सूचना के अधिकार के नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रति मांगी गई जो अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उपलब्ध पत्र दिनांक 17.08.2023 एवं उसके साथ संलग्न पत्र दिनांक 14.10.2019 (अनुलग्न–1) पर उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से स्पश्ट होता है कि अपीलार्थी के 2,91,989/– रूपये के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान बकाया है। विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जाकर बकाया यात्रा भत्ता बिलों की कुल रा'' ा 2,91,989/– रूपये का भुगतान मय ब्याज के कराये जाने का अनुतोश चाहा गया है।

प्रकरण में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड से स्पश्ट है कि सहायक अभियन्ता उपखण्ड सिवाना द्वारा अपीलार्थी के बकाया यात्रा भत्ता बिल अवधि माह जनवरी, 2010 से माह अप्रेल, 2015 तक की बकाया रा'' ा के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन करने हेतु अधि'' ाशी अभियन्ता, खण्ड बालोतरा से निवेदन किया गया है जिस से प्रथम दृश्टया प्रमाणित है कि अपीलार्थी के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान बकाया है, जबकि अपीलार्थी दिनांक 30.04.2015 को ही राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और अपीलार्थी अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विभागीय नियमानुसार लम्बित बिलों की जांच की जाकर भीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण के तथ्यों के दृश्टिगत प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी के लम्बित यात्रा भत्ता बिलों की जांच की जाकर आगामी 2 माह की अवधि में बकाया राशि का भुगतान अपीलार्थी को किया जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य